



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 287]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2010

सं. भा.आ.प. 34(1)/2010-मेडि./32962.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, नामतः—

- इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।
 - वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में निम्नलिखित परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे:—
- अध्याय II में "चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश- अर्हकता प्रक्रिया" के खण्ड 4, उप खण्ड-2 के अंतर्गत शीर्षक "उसने अर्हकता परीक्षा पास कर ली हो" तथा खण्ड 5 के अंतर्गत " छात्रों का चयन", उपखण्ड 5 " एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन हेतु प्रक्रिया" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 4(2) उसने निम्नलिखित प्रकार से अर्हकता परीक्षा पास कर ली हो:-

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो 10+2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है या कोई ऐसी अन्य परीक्षा जो 12 वर्षीय अध्ययन अवधि के 10+2 पैटर्न के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है जिसमें अंतिम दो वर्ष के अध्ययन में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान/ जैव-तकनीकी तथा गणित है या राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत 10+2+3 वर्षीय शैक्षिक ढाँचा आरंभ कर दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा यथा निर्धारित अंग्रेजी के प्रमुख पाठ्यक्रम से नीचे के स्तर पर अंग्रेजी के साथ कोई अन्य वैकल्पिक विषय है।

नोट : जहाँ पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय समिति द्वारा 10+2 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है वहाँ अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिये एक वर्ष का पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

या

(ख) एक भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड से विज्ञान में इण्टरमीडिएट परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान / जैव-तकनीकी जिसमें इन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा तथा अंग्रेज़ी भी अनिवार्य विषय के रूप में हो;

या

(ग) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, या पूर्व-विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पूर्व-व्यवसायिक / पूर्व-चिकित्सा परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी। पूर्व-व्यवसायिक / पूर्व-चिकित्सा परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी की प्रायोगिक परीक्षा तथा अंग्रेज़ी भी अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित हो;

या

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सहित, बशर्ते परीक्षा "विश्वविद्यालय परीक्षा" तथा अभ्यर्थी द्वारा 10+2 अंग्रेज़ी कोर पाठ्यक्रम से कम स्तर की न हो;

या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एस.सी. परीक्षा, बशर्ते कि उसने बी.एस.सी. परीक्षा निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान / प्राणिविज्ञान,)/ जैव-तकनीकी में उत्तीर्ण की हो तथा इसके पश्चात् उसे अर्हकता परीक्षा निम्नलिखित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान तथा अंग्रेज़ी में उत्तीर्ण करनी होगी;

या

(च) कोई अन्य परीक्षा जो, स्कोप व मानदण्ड में किसी भारतीय विश्वविद्यालय /बोर्ड के इण्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के समकक्ष हो जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सहित अंग्रेज़ी विषय भी सम्मिलित हो।

नोट :

पूर्व-चिकित्सा पाठ्यक्रम या तो किसी मेडिकल कॉलेज या किसी विज्ञान कॉलेज द्वारा संचालित किया जाये।

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु गणित विषय में प्राप्तांकों पर विचार नहीं किया जायेगा।

10+2 पाठ्यक्रम लागू होने के पश्चात् से ही एकीकृत पाठ्यक्रम को ही समाप्त माना जाये।

5(5) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी :-

- (i) विनियमावली 4 के खण्ड (1) के अंतर्गत वरीयता के आधार पर अर्हकता परीक्षा के आधार पर प्रवेश की स्थिति में अभ्यर्थी को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी तथा अंग्रेज़ी विषयों में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण करनी होगी तथा खण्ड (2) में उल्लिखित अर्हकता परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/ जैव-तकनीकी विषयों में कुल न्यूनतम

50% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हकता परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव-तकनीकी विषयों में उपरोक्त 50% अंकों के स्थान पर 40% अंक प्राप्त करने होंगे;

- (ii) इस विनियमावली के खण्ड (2) से (4) के अंतर्गत विनियमावली के खण्ड (2) में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की स्थिति में अभ्यर्थी को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव-तकनीकी तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक रूप से तथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव-तकनीकी कुल न्यूनतम 50% अंकों में उत्तीर्ण करनी होगी तथा इसके साथ ही उक्त प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार वरीयता सूची की परिधि में भी अवश्य ही आता हो तथा उसने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव-तकनीकी में 50% से कम अंक न प्राप्त न किये हों। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हकता परीक्षा तथा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान/जैव-तकनीकी विषयों में उपरोक्त 50% अंकों के स्थान पर 40% अंक प्राप्त करने होंगे:

बशर्ते कि अभ्यर्थी जिसने अर्हकता परीक्षा तो दी हो किंतु उसका परिणाम घोषित न हुआ हो तो उन्हें भी अस्थायी तौर पर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है तथा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में चयन होने की स्थिति में, उसे तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विनियमावली 4 में उल्लिखित अर्हकता प्रक्रिया पूरी न कर ले।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/10-अस।]

पाद टिप्पणी प्रधान विनियमावली नामतः "स्नाताक चिकित्सा विनियमावली, 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, की दिनांक 4 मार्च 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र भाग- III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008 और 25.03.2009 तथा 19.04.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2010

No. MCI-34(1)/2010-Med./32962.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2010."
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-
3. In Chapter II, Clause 4 under the heading "Admission to the Medical Course-Eligibility Criteria", sub-clause 2 under the heading "He/She has passed qualifying examination "& Clause 5 under the heading "Selection of Students", sub-clause 5 under the heading "Procedure for selection to MBBS course", **shall be substituted** as under :

"4(2) He/She has passed qualifying examination as under :-

(a) The higher secondary examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of **Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology** and Mathematics or any other elective subjects with English at a level not less than core course of English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on education;

Note: Where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical colleges;

Or

(b) The intermediate examination in science of an Indian University/Board or other recognised examining body with **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject;

Or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology, after passing either the higher secondary school examination, or the pre-university or an equivalent Examination. The pre-professional/pre-medical examination shall include a practical test in **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** and also English as a compulsory subject;

Or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with **Physics, chemistry and Biology/Bio-technology** including a practical test in three subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course;

Or

(e) B.Sc. examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc. examination with not less than two of the following subjects **Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology** and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects – Physics, Chemistry, Biology and English.

Or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board, taking **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** including practical test in each of these subjects and English.

Note:

The pre-medical course may be conducted either at Medical College, or a science College.

Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to MBBS Course.

After the 10+2 course is introduced, the integrated courses should be abolished.

5(5) Procedure for selection to MBBS course shall be as follows:-

- (i) In case of admission on the basis of qualifying examination under clause (1) based on merit, candidate for admission to MBBS course must have passed in the subjects of **Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English** individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** at the qualifying examination as mentioned in the clause (2) of regulation 4. In respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward classes. The marks obtained in **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** taken together in qualifying examination be 40% instead of 50% as above;
- (ii) In case of admission on the basis of Competitive entrance examination under clause (2) to (4) of this regulation, a candidate must have passed in the subjects of **Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology** and English individually and must have obtained a minimum of 50% of marks taken together in **Physics Chemistry and Biology/Bio-technology** at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of regulation 4 and in addition must have come in the merit list prepared as a result of such competitive entrance examination by securing not less than 50% marks in **Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology** taken together in the competitive examination. In respect of candidates belonging to Schedule Caste. Schedule Tribes or other

Backward Class the marks obtained in **Physics, Chemistry, and Biology/Bio-technology** taken together in qualifying examination and competitive entrance examination be 40% instead of 50% as stated above:

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive entrance examination and in case of selection for admission to the MBBS course, he shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under regulation 4.”

Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy.

[ADVT-III/4/100/10/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Regulations on Graduate Medical Education, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended vide Council notification dated 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009 & 19.04.2010.